कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 361/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.10.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.10.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस-नोट, दिनांक-09.10.2025
थाना जहानगंज, जनपद आज़मगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत एंटी रोमियो टीम की कार्यवाही — 01 मनचला गिरफ्तार

➡ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा एवं सम्मान को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 09.10.2025 को एंटी रोमियो टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई।

➡ दिनांक- 09.10.2025 को उ0नि0 विनय कुमार मय हमराह का0 संदीप पटेल, म0का0 शिखा सिंह, चालक का0 अनूप कुमार के साथ क्षेत्र में मिशन शक्ति प्रचार-प्रसार एवं एंटी रोमियो चेकिंग अभियान के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति हरिशंकर पी.जी. कॉलेज, रामपुर से पहले दुलारी इंडेन गैस एजेंसी के पास खड़ा होकर अश्लील गाने बजाते हुए आने-जाने वाली छात्राओं पर अशोभनीय टिप्पणी व इशारे कर रहा है।

➡ सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एंटी रोमियो टीम द्वारा मौके से आरोपी आदित्य खरवार पुत्र मनोज खरवार निवासी करउत, थाना जहानगंज, जनपद आज़मगढ़ (उम्र लगभग 19 वर्ष) को दुलारी इंडेल गैस एजेन्सी, जहानागंज से समय 13.37 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡ आरोपी का कृत्य धारा 296 बी.एन.एस. का अपराध पाए जाने पर उसके विरुद्ध मु0अ0सं0- 309/2025 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

02.थाना दीदारगंज: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी कि वादी की लड़की को घर से चली गयी, काफी-खोजबीन के बाद भी नहीं मिली है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 280/25 धारा 137(2) BNS बनाम 1.अज्ञात पंजीकृत कराये थे।

विवेचना के दौरान धारा 64(1) ,87 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी थी जिसमें अभियुक्त तसलीम पुत्र नन्हे शाह नि0 ग्राम नगला उदई थाना घमौरा जनपद रामपुर का नाम प्रकाश में आया है जो अभियुक्त तशलीम उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 09.10.2025 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय़ हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त तसलीम पुत्र नन्हे शाह नि0 ग्राम नगला उदई थाना घमौरा जनपद रामपुर को पल्थी बाजार पहुंच कर शाहंगज मार्ग पर लगभग 500 मीटर आगे से समय सुबह 10.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. तसलीम पुत्र नन्हे शाह नि0 ग्राम नगला उदई थाना घमौरा जनपद रामपुर उम्र 30 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	280/25	137(2) ,64(1) ,64(1) BNS व 3/4 पाक्सो	दीदारगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 रतन कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. म0का0 बबीता गौंड थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

03.थाना निजामाबाद: जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 25.09.25 की रात्रि में वादी सिरपत पुत्र बुद्धू निवासी मोहनाठ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ को जमीन के विवाद को लेकर पट्टीदार झिनकू पुत्र मिट्ठू , दुर्गेश पुत्र झिनकू , झुरी पुत्र झिनकू , मंजू ,संजु पुत्रीगण झिनकू , शशिकला पत्नी झिनकू , साधना पत्नी दुर्गेश निवासीगण मोहनाठ , सुन्दर पुत्र अज्ञात निवासी गद्दीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ एक राय होकर गाली गुप्ता व लाठी डंडा व पंच से मारने पीटने लगे। पीड़ित जान बचाने के लिए घर में भागा तो घर मे घुस कर मारे पीटे बचाने आये वादी के पत्नी सोनम व पुत्री अंजली को भी मारे पीटे व जान से मारने की धमकी दिया। सभी को सिर में व शरीर में गंभीर चोटे आयी। वादी के प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर दिनांक 27.09.25 को मु0अ0स0 332/25 धारा 115(2),352,351(3),333,3(5) BNS पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 लाला राम द्वारा प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 09.10.25 को उ0नि0 लाला राम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुन्दर लाल पुत्र स्व0 राम सनेही निवासी गद्दीपुर थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ को गौसपुर तिराहे से समय करीब 11.33 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी व पंच बरामद बरामद किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय /जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सुन्दर लाल पुत्र स्व0 राम सनेही निवासी गद्दीपुर थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 332/25 धारा 115(2),352,351(3),333,3(5) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण–

1. उ0नि0 लाला राम 2. का0 संजय पाण्डेय, 3. का0 अवधेश सिंह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

04.थाना – सरायमीर जनपद आजमगढ़: गलती से दुसरे खाते में गये 19,000 रूपये आवेदक के खातें में वापस कराया गया।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि आवेदक नरेन्द्र कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम गोसाईपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा 09.08.2025 को गलत खाते में 19000 रूपये चले जाने व विपक्षी से जरिए दूरभाष वार्ता करने पर पैसे वापस देने से इंकार करने पर साइबर पोर्टल पर शिकायत सं0 231082501xxxxx दर्ज करायी गयी थी। आज दिनांक 09.10.2025 को आवेदक के खाते में 19,000 रूपये वापस करा दिये गये हैं।

बरादमगी का विवरण –

आज दिनांक 09.10.2025 को आवेदक नरेन्द्र कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम गोसाईपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ की साइबर शिकायत संख्या पर विधिक कार्यवाही कराते हुए 19,000 रूपये आवेदक के खाते में वापस दिला दिया गया है।

पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 नीरज गौड़ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. का0 सोनू गुप्ता थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का0 इन्द्रजीत यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 ममता सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
5. म0का0 संजू सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

05. थाना कप्तानगंज: गलती से दूसरे यूपीआई नम्बर पर 10000 रूपया आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.09.25 को आवेदक मुलायम यादव पुत्र हरिहर यादव सा0 बालेपट्टी थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ द्वारा पैसा भेजते समय गलती से दूसरे यूपीआई नम्बर पर पैसा भेज दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा थाना कप्तानगंज पर साइबर हेल्प डेस्क में शिकायत दर्ज करायी गयी है थाने के साइबर हेल्प डेस्क द्वारा साइबर हेल्पलाइन नं0 1930/https://cybercrime.gov.in/पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका Ack No. 33109250127563 है साइबर हेल्प डेस्क कप्तानगंज द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक का 10000 रू0 होल्ड करा दिया गया था। आवेदक का गलती से भेजे गये 10000 रूपया वापस करा दिया गया है।

रूपया वापसी का विवरणः-

साइबर अपराध के रोकथाम के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार (IPS) द्वारा साइबर अपराध रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महोदय के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे के नेतृत्व में थाना कप्तानगंज की साइबर सेल टीम द्वारा आवेदक मुलायम यादव पुत्र हरिहर यादव निवासी ग्राम बालपट्टी थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से आवेदक के खाते से स्थानान्तरित हुए रूपयो की जाँच करते हुए 10000 रूपये बैंक आफ बड़ौदा के खाता संख्या 31770100024892 जो कुशीनगर का है बैंक खाते में होल्ड कराया गया तथा खाताधारक से वार्ता कर आवेदक को वापस करा दिया गया। आवेदक द्वारा अपने रूपये पाकर पुलिस को धन्यवाद व्यक्त किया।

साइबर सेल कप्तानगंज की तरफ से सभी से अपील किया गया कि किसी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें:

सबसे पहले, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और घटना की जानकारी दें। इसके अलावा, आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि पासवर्ड और ओटीपी, किसी के साथ साझा न करें।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अज्ञात व्यक्ति से मिले ईमेल या मैसेज का जवाब दें।

ऑनलाइन लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करें।

अन्जान नम्बरो से आने वाले काल पर सावधानी पूर्वक निर्णय ले।

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1- थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे थाना कप्तानगंज

2- उ0नि0 प्रिन्स मिश्रा (साइबर सेल/ हेल्प डेस्क प्रभारी) थाना कप्तानगंज

3- का0 सौरभ सिंह (साइबर सेल/ हेल्प डेस्क) थाना कप्तानगंज

4- का0 विकास पटेल (साइबर सेल/ हेल्प डेस्क) थाना कप्तानगंज

06.थाना- सिधारीः अवैध असलहा व कारतूस के अभियुक्ता गिरफ्तार।

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के कुशल पर्यवेक्षण व प्र0नि0 सिधारी हिमेद्र सिंह के कुशल निर्देशन में उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह द्वारा दिनांक 08.10.2025 को अभियुक्ता अन्तिमा सिंह पत्नी रविन्द्र सिंह निवासी किशुनपुरा थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को नरौली से दक्षिण जानें वाले रास्ते पर पुलिया के पास बहद ग्राम नरौली से समय 16.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर तथा 01 अदद जिन्दा कारतूस 9mm बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1- अन्तिमा सिंह पत्नी रविन्द्र सिंह निवासी किशुनपुरा थाना जहानागंज जिला आजमगढ उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस 9mm

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता -

1-अन्तिमा सिंह पत्नी रविन्द्र सिंह निवासी किशुनपुरा थाना जहानागंज जिला आजमगढ उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 379/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

2.मु0अ0सं0-174/24 धारा 381/411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

3.मु0अ0सं0- 169/17 धारा 380 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

4.मु0अ0सं0- 420/24 धारा 305/317(2) बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

5.मु0अ0सं0- 442/25 धारा 115(2)/118(1)/324(4)/351(3)/352 बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

6.मु0अ0सं0- 72/24 धारा 380/411/413 भादवि थाना मधुबन मऊ

7.मु0अ0सं0- 419/420/475/482 भादवि व 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन मऊ

8.मु0अ0सं0- 142/14 धारा 323/427/452/504/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

9. मु0अ0सं0- 456/25 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0- 456/25 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़
2. उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा थाना सिधारी आजमगढ़
3. म0कां0 प्रीती त्रिपाठी थाना सिधारी आजमगढ़
4. म0कां0 आरती शुक्ला थाना सिधारी आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक- 09.10.2025, साइबर सेल, जनपद आजमगढ़

- I4C द्वारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस माह (NCSAM) के अंतर्गत साइबर अपराध से बचाव हेतु साइबर जनजागरूकता का आयोजन-
- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम व आमजनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, कॉलेज एवं पुस्तकालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए-
- इसी क्रम में **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 श्री अनिल कुमार** के कुशल निर्देशन व **अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी** के कुशल मार्गदर्शन एवं **क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.10.2025 को बेलइसा चौराहे पर साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर अपराधो जैसे डिजीटल अरेस्ट मे फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, साइबर पुलिस अधिकारी बनकर पैसे की मांग करना , मोबाइल फोन मे फर्जी एप्प डाउनलोड कराकर या लिंक पर क्लिक कराकर ठगी करना , गिफ्ट / लाटरी के नाम पर स्कैम, सोशल मीडिया (इस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट आदि) पर अन्जान व्यक्तियो / महिलाओ से दोस्ती करना, म्यूल अकाउट, फर्जी मोबाइल नम्बर आदि के बारे मे विस्तृत जानकारी देते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लाउडहेलर चलाकर तथा पम्पलेट वितरण कर प्रचार – प्रसार करते हुए आमजनमानस को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया गया।
- कार्यशाला के दौरान भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं www.cybercrime.gov.in पोर्टल के उपयोग के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
- साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत उक्त नंबर या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर अपराध को रोका जा सकता है।

प्रमुख बिंदु जिन पर जानकारी दी गई-

- बैंकिंग फ्रॉड, क्यूआर कोड स्कैन कर ठगी
- व्हाट्सएप हैकिंग, OLX व KYC आधारित ठगी
- फर्जी ऐप्स, ऑनलाइन लोन स्कैम, हनी ट्रैपिंग
- ATM व इंटरनेट मीडिया से जुड़ी ठगी
- निवेश / गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी व अन्य कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी
- सेक्सटॉर्शन व न्यूड कॉल ब्लैकमेलिंग
- मेट्रीमोनियल वेबसाइट पर शादी करने का झांसा देकर धोखाधड़ी

सेक्सटॉर्शन जैसे मामलों में विशेष सावधानी की सलाह-

➡ साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया (विशेषतः फेसबुक) पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। बाद में व्हाट्सएप नंबर लेकर वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील वीडियो दिखाया जाता है और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ब्लैकमेल कर धन की मांग की जाती है।

➡ जनसामान्य को सलाह दी गई कि –

⬘ किसी भी अजनबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।

⬘ अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल न उठाएं।

❖ यदि कॉल उठानी हो तो कैमरे पर अंगूठा या कवर रखें।

❖ किसी भी प्रकार की ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी:

- म0नि0 श्रीमती विभा पाण्डेय थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- उ0नि0 रजत सिंह थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- का0 महिपाल यादव थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- म0का0 संज्ञा देवी थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- म0का0 प्रियंका गौड़ थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक 09.10.2025, जनपद- आजमगढ़

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

➡ माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से **मिशन शक्ति विशेष अभियान** प्रारंभ किया गया है।

➡ **मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0** का शुभारम्भ **दिनांक 20 सितम्बर 2025** को **शारदीय नवरात्रि** के पावन अवसर पर किया गया।

➡इसी क्रम में **दिनांक 09 अक्टूबर 2025** को जनपद **आजमगढ़** में श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय, श्रीमान् पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण / नोडल अधिकारी मिशन शक्ति **श्री चिराग जैन** तथा पर्यवेक्षण अधिकारी **श्रीमती आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सदर** के नेतृत्व में विविध जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गई।

मुख्य गतिविधियाँ:

01.महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल कार्यक्रम:

➡ जनपद के विभिन्न **मन्दिरों, सार्वजनिक स्थानों**, एवं **पंचायत भवनों** में महिला बीट पुलिस अधिकारियों ने चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को **सरकारी योजनाओं, हेल्पलाइन नम्बरों** (1090, 112, 181, 1930 आदि) की जानकारी दी।

➡ **फुट पेट्रोलिंग** के दौरान रूक-रूककर स्थानीय महिलाओं से संवाद कर उन्हें आत्मरक्षा के प्रति सजग किया गया।

02.एण्टी रोमियो टीम द्वारा सघन चेकिंग:

➡ जनपद के चिन्हित **हॉट-स्पॉट स्थलों** पर सभी **एण्टी रोमियो टीमों** द्वारा सतर्क निगरानी रखते हुए सघन चेकिंग की गई, जिससे महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास का संचार हुआ।

➡ यह अभियान महिलाओं में **सुरक्षा के प्रति जागरूकता, कानूनी जानकारी** और **सरकारी संसाधनों** के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।